

25/5/26

पञ्चाक्षरी कास्ये रिजिफि पेरा डरिण वकिमः वारी-३५.१
वार वारी स्वीकार डिम पाणा हो यिस्सुता रिजिफि-शाकिम
डिम गणन डिक्ते जाती हो नंभर से नद हो

विणके सुनमा गणन

BV

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

GICMS
2026/178

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :- श्री भरत जय प्रकाश मीना आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 106/2026 G.C.M.S. :- 2026/178 दायरा दिनांक : 07.04.2026

करणीसिंह उर्फ कमलसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी ठैठार तहसील सूरतगढ़ जिला
श्रीगंगानगर राजस्थान। - वादी

बनाम
तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

- प्रतिवादी

उपस्थिति :-

श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार - वादी

पैरोकार राज - प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 25/05/2026



आज यह वादपत्र वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुआ। एडवोकेट पक्षकार उपस्थित व नायब तहसीलदार सूरतगढ़ उपस्थित। पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि जमाबदी सम्वत 2072 ता 75 के चक 2 टी.टी.डी. के खाता नं. 24/25 के पत्थर नं. 190/31 (16) के किला नं. 5 में 0.253 है 0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/38 (12) के किला नं. 14 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में 2.846 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/39 (17) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 12 ता 19, 23 ता 25 में 5.237 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 190/40 (28) के किला नं. 3 ता 7, 14 ता 16 में 2.024 है 0, व पत्थर नं. 190/46 (11) के किला नं. 11/1, 12-13, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में 2.556 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/47 (18) के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 में 5.947 है 0 कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 190/48 (27) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 14, 19, व 20/1 में 3.948 है 0 कमाण्ड व पत्थर नं. 190/55 (19) के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.024 है 0 कमाण्ड व पत्थर नं. 190/56 (26) के किला नं. 1, 2 व 10 में 0.759 है 0 कमाण्ड इस प्रकार कुल 25.594 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि जमाबदी सम्वत 2071 ता 74 तहसील सूरतगढ़ की रोही ठैठार के खाता नं. 51/56 के खसरा नं. 31 में 12.865 है 0, खसरा नं. 87 में 0.380 है 0 बारानी भूमि कुल 13.245 है 0 बारानी भूमि में से 32/210 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में वादी का नाम लिपिकिय त्रुटि से व राजस्व कर्मियों की भूल की वजह से करणीसिंह (करणी) पुत्र मघसिंह लिखा गया है जबकि वादी का सही नाम कमलसिंह पुत्र मघसिंह लिखा जाना था जो वादी के आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड, व सरपंच के प्रमाणपत्र में अपना नाम कमलसिंह पुत्र मघसिंह लिखा गया है। वादी दावे के माध्यम से जैर प्रकरण रकबा चक 2 टी.टी.डी. के खाता नं. 24/25 के पत्थर नं. 190/31 (16) के किला नं. 5 में 0.253 है 0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/38 (12) के किला नं. 14 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में 2.846 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/39 (17) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 12 ता 19, 23 ता 25 में 5.237 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 190/40 (28) के किला नं. 3 ता 7, 14 ता 16 में 2.024 है 0, व पत्थर नं. 190/46 (11) के किला नं. 11/1, 12-13, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में 2.556 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/47 (18) के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 में 5.947 है 0 कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 190/48 (27) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 14, 19, व 20/1 में 3.948 है 0 कमाण्ड व पत्थर नं. 190/55 (19) के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.024 है 0 कमाण्ड व पत्थर नं. 190/56 (26) के किला नं. 1, 2 व 10 में 0.759 है 0 कमाण्ड इस प्रकार कुल 25.594 है 0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि जमाबदी सम्वत 2071 ता 74 तहसील सूरतगढ़ की रोही ठैठार के खाता नं. 51/56 के खसरा नं. 31 में 12.865 है 0, खसरा नं. 87

क्रमशः पेज 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2) करणीसिंह उर्फ कमलसिंह बनाम सरकार

में 0.380 है० बारानी भूमि कुल 13.245 है० बारानी भूमि में से 32/210 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम करणीसिंह पुत्र मघसिंह के स्थान पर कमलसिंह पुत्र मघसिंह करवाना चाहता है। वादी का वास्तविक नाम कमलसिंह पुत्र मघसिंह है। वादी के नाम से उक्त जैरवाद भूमि में वादी का नाम लिपिकिय त्रुटि व राजस्व कर्मियों की भूल की वजह से करणीसिंह पुत्र मघसिंह लिखा गया है जबकि वादी का सही नाम कमलसिंह पुत्र मघसिंह लिखा जाना था वादी का वास्तविक नाम कमलसिंह वादी के तमाम दस्तावेज व सरपंच प्रमाणपत्र में वादी का नाम कमलसिंह पुत्र मघसिंह है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में कमलसिंह पुत्र मघसिंह दर्ज करवाने का मुस्तक है। श्रीमान जी इस प्रकार की दुरुस्ती एवं घोषणा करने में आप सक्षम है। चक 2 टी.टी.डी. के खाता नं. 24/25 के पत्थर नं. 190/31 (16) के किला नं. 5 में 0.253 है० अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/38 (12) के किला नं. 14 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में 2.846 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/39 (17) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 12 ता 19, 23 ता 25 में 5.237 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 190/40 (28) के किला नं. 3 ता 7, 14 ता 16 में 2.024 है०, व पत्थर नं. 190/46 (11) के किला नं. 11/1, 12-13, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में 2.556 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/47 (18) के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 में 5.947 है० कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 190/48 (27) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 14, 19, व 20/1 में 3.948 है० कमाण्ड व पत्थर नं. 190/55 (19) के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.024 है० कमाण्ड व पत्थर नं. 190/56 (26) के किला नं. 1, 2 व 10 में 0.759 है० कमाण्ड इस प्रकार कुल 25.594 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि जमाबदी सम्वत 2071 ता 74 तहसील सूरतगढ़ की रोही टैठार के खाता नं. 51/56 के खसरा नं. 31 में 12.865 है०, खसरा नं 87 में 0.380 है० बारानी भूमि कुल 13.245 है० बारानी भूमि में से 32/210 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम करणीसिंह पुत्र मघसिंह के स्थान पर कमलसिंह पुत्र मघसिंह दर्ज करने की घोषणा एवं दुरुस्त किया जावे। वादी द्वारा अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु हल्का पटवारी हल्का को काफी बार कहा और अपने दस्तावेज भी दिये मगर हल्का पटवारी हल्का द्वारा नाम दुरुस्त नहीं किया गया व हल्का पटवारी को पुछने पर तुम नाम क्यों नहीं दुरुस्त करते तो स्पष्ट मना कर दिया। इसलिये यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

21/1 वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी नं. 01 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 01 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र डिक्री किया जावे। वादी द्वारा शपथपत्र पेश किया गया। जिरह नील रही। साक्ष्य वादी अन्य ब्यान नहीं करवाना चाहता। साक्ष्य वादी बंद किये गये पत्रावली वास्ते बहस रखा गया।

विद्वान एडवोकेट वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से जैरवाद दोनो चकों की भूमि में वादी का नाम करणीसिंह पुत्र मघसिंह के स्थान पर कमलसिंह पुत्र मघसिंह का नाम दुरुस्त करते हुए खातेदारी कृषक घोषित किया जावे। वादी का वास्तविक नाम कमलसिंह पुत्र मघसिंह है जो कि वादी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, अन्य दस्तावेज व सरपंच की तस्दीक से स्पष्ट है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में कमलसिंह पुत्र मघसिंह दर्ज करवाने का मुस्तक है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात बहस पर मनन किया एवं साक्ष्य एवं सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिये जाते है कि चक 2 टी.टी.डी. के खाता नं. 24/25 के पत्थर नं. 190/31 (16) के किला नं. 5 में 0.253 है० अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/38 (12) के किला नं. 14 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में 2.846 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/39 (17) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 12 ता 19, 23 ता 25 में 5.237 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 190/40 (28) के किला नं. 3 ता 7, 14 ता 16 में 2.024 है०, व पत्थर नं. 190/46 (11) के किला नं. 11/1, 12-13, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में 2.556 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/47 (18) के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 में 5.947 है० कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 190/48 (27) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 14, 19, व 20/1 में 3.948 है० कमाण्ड व पत्थर नं. 190/55 (19) के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.024 है० कमाण्ड व पत्थर नं. 190/56 (26) के किला नं. 1, 2 व 10 में 0.759 है० कमाण्ड इस प्रकार कुल 25.594 है० कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि जमाबदी सम्वत 2071 ता 74 तहसील सूरतगढ़ की रोही टैठार के खाता नं. 51/56 के खसरा नं. 31 में 12.865 है०, खसरा नं 87 में 0.380 है० बारानी भूमि कुल 13.245 है० बारानी भूमि में से 32/210 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि में इस प्रकार दोनो चकों की भूमि में वादी का नाम करणीसिंह पुत्र मघसिंह के स्थान पर करणीसिंह उर्फ कमलसिंह पुत्र मघसिंह नाम घोषित किया जाता है इस आशय की डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को सरे इज्लास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़।

(ओ.21 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

--: परचा डिक्री :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(बइजलास :- श्री भरत जय प्रकाश मीना आई.ए.एस.)

-: अनवान :-

करणीसिंह उर्फ कमलसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी टैठार तहसील सूरतगढ़ जिला
श्रीगंगानगर राजस्थान।

- वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)


- प्रतिवादी

वाद पत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 106 वर्ष 2026 यह मुकदमा वास्ते

इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार व प्रतिवादी पैरोकार
राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि चक 2 टी.टी.डी. के खाता नं. 24/25
के पत्थर नं. 190/31 (16) के किला नं. 5 में 0.253 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/38 (12)
के किला नं. 14 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 में 2.846 है0
कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/39 (17) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 12 ता 19,
23 ता 25 में 5.237 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 190/40 (28) के किला नं. 3 ता
7, 14 ता 16 में 2.024 है0, व पत्थर नं. 190/46 (11) के किला नं. 11/1, 12-13, 17 ता 19,
20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 में 2.556 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व पत्थर नं. 190/47
(18) के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 9, 10/1,
11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 में 5.947 है0 कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं.
190/48 (27) के किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 14, 19, व 20/1 में 3.948
है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 190/55 (19) के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.024 है0 कमाण्ड
व पत्थर नं. 190/56 (26) के किला नं. 1, 2 व 10 में 0.759 है0 कमाण्ड इस प्रकार कुल 25.
594 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व
संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि जमाबदी सम्वत 2071 ता 74 तहसील सूरतगढ़ की रोही
टैठार के खाता नं. 51/56 के खसरा नं. 31 में 12.865 है0, खसरा नं 87 में 0.380 है0 बारानी
भूमि कुल 13.245 है0 बारानी भूमि में से 32/210 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि
में इस प्रकार दोनो चकों की भूमि में वादी का नाम करणीसिंह पुत्र मघसिंह के स्थान पर
करणीसिंह उर्फ कमलसिंह पुत्र मघसिंह नाम घोषित किया जाता है एवं आदेश प्रदान किये जाते
है आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

नोज -----x----- मुबलिग -----x----- बाबत -----x----- खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह ---
---x----- फस्दों की पालना -----x----- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25/05/26 को जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

